भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2449

04.08.2025 को उत्तर के लिए

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

2449. श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-1 के अंतर्गत लागू 27-सूत्रीय कार्य योजना के प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण करने के लिए कार्य योजना में कौन-कौन से उपाय शामिल किए गए हैं; और

(ग) उक्त कार्य योजना के अंतर्गत वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तरों में हुई अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है तथा एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिनांक 13.12.2024 को संशोधित जीआरएपी प्रकाशित की गई है।

निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट डंपिंग, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को जलाना, वाहनीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण जैसे गंभीर वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करने वाली कार्रवाई को जीआरएपी के चरण-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

जीआरएपी के विभिन्न चरणों के तहत सी एंड डी क्रियाविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण को लक्षित करने वाली कार्रवाइयाँ निर्धारित की गई हैं। इनमें सी एंड डी अपशिष्ट को नियमित रूप से उठाना, सही तरीके से ढकना, सी एंड डी सामग्री तथा अपशिष्ट का भंडारण और परिवहन, सड़क निर्माण/इनका विस्तार करने/मरम्मत परियोजनाओं और रखरखाव क्रियाविधियों में जल छिड़काव और धूल नियंत्रण उपाय, सी एंड डी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के सख्त प्रवर्तन के लिए निरीक्षण में तेजी लाना, सी एंड डी क्रियाविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं। जीआरएपी के चरण । के दौरान, सी एंड डी क्रियाविधियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:

i. सी एंड डी क्रियाविधियों में धूल उपशमन उपायों पर निर्देशों/नियमों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन तथा सी एंड डी अपशिष्ट का उचित पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ii. 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट की आकार वाली उन परियोजनाओं के संबंध में सीएंडडी क्रियाविधियों की अनुमति नहीं है, जो संबंधित राज्य/जीएनसीटीडी के 'वेब पोर्टल' पर पंजीकृत नहीं हैं और/या जो धूल उपशमन उपायों की दूरस्थ निगरानी के लिए वैधानिक सीएक्यूएम निर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

iii. सी एंड डी सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से संग्रहित/संरक्षित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से ढका जाना चाहिए। सी एंड डी सामग्री और सी एंड डी अपशिष्ट का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

iv. संबंधित डंप स्थलों से सीएंडडी अपशिष्ट को नियमित रूप से हटाया जाना सुनिश्चित होना चाहिए तथा खुले भूमि क्षेत्रों में अवैध रूप से कोई अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए।

v. निर्माणाधीन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के अनुपात में, सी एंड डी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए वैधानिक निर्देशों और मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

vi. सड़क निर्माण/इनका विस्तार करने/मरम्मत परियोजनाओं और रखरखाव क्रियाविधियों में एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव और धूल को रोकने के उपायों का उपयोग तेज किया जाना चाहिए।

vii. प्रदूषणकारी सीएंडडी क्रियाविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समीर ऐप, 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जीआरएपी के चरण I के तहत वाहनीय प्रदूषण को कम करने के उपाय निम्नानुसार हैं:

i. वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की सख्त निगरानी और प्रवर्तन।

ii. प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त करना और/या उन पर अधिकतम जुर्माना लगाना।

iii. पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के लिए लक्ष्यहीन ट्रक यातायात को मोडना।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी के चरण-I के तहत निर्धारित कार्यवाहियां सीएक्यूएम वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

******